

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

RBA No. 01/2025

GST No. 01/2025

No. 2017/AC-II/1/6/GST MAIN-VOL-IV

3rd January 2025

General Managers,
All Zonal Railways / Production Units

Sub: Further Clarification in relation to compliance with Amended
TDS Provisions for Metal Scrap Supplies by Registered dealers
to Indian Railways under GST

Ref: RBA No. 35/2024 dated 11th December 2024.

Railway Board vide RBA No. ibid had brought out the implications of the notification issued by Department of Revenue on the captioned subject. In this regard, following clarifications are brought out to ensure GST compliances:-

Particulars	Clarifications
Whether GST-TDS shall be applicable @1% of Taxable Value or Invoice Value?	GST-TDS shall be applicable @1% of Taxable Value
Whether GST-TDS shall be applicable @1% each of CGST and SGST or total 1%?	GST-TDS shall be applicable @1% each of CGST and SGST.
Whether GST-TDS under IGST (2% in case of IGST) be also applicable on Railways?	Given that the place of supply (POS) of metal scrap supplied by the Railway is the same as the place of the supplier, TDS under IGST shall not be applicable to these transactions of the Railways.
Whether there is threshold of transaction on which TDS shall be applicable?	TDS shall be applicable on all transactions of Metal Scrap falling under Chapter 72 to 81 where the total value (Taxable Value) of such supply, under a contract, exceeds Rs. 2,50,000/-
What are the provisions relating to the issue of TDS certificates under the GST law?	Similar to the Income Tax Law, the person deducting tax under GST has to issue the TDS certificate in form GSTR-7A to the concerned person within 5 days of depositing the tax to the government. The GST portal will automatically make GSTR-7A available to the deductee on the basis of the GSTR-7 filed by the Scrap Dealer.

I/3113788/2025

The applicability of TDS in various scenarios involving different locations of supplier, place of supply, and place of recipient is detailed in the table below:

Scenario	Location of supplier	Place of supply	Type of GST	Place of recipient	TDS applicability	TDS %	Remarks
1	Bangalore	Bangalore	CGST & SGST	Bangalore	Yes	2% (1% + 1%)	<u>Relevant for Railways</u>
2	Bangalore	Chennai	IGST	Bangalore	Yes	2%	<u>Not Relevant for Railways</u>
3	Bangalore	Chennai	IGST	Delhi	Yes	2%	<u>Not Relevant for Railways</u>
4	Bangalore	Bangalore	CGST & SGST	Delhi	No	-	<u>Relevant for Railways</u>

From the above, it may be seen that GST-TDS shall not be applicable when the location of the supplier and the place of supply are in the same state, whereas the place of the recipient is in a different state.

All Zonal railways and Production units may take note of the above and ensure GST compliance in consultation with their local GST consultants and ensure that all such transaction shall comply with the aforesaid requirements. In case of any specific issues in implementing the above instructions, the same may be brought to the notice of Railway Board along with the comments of GST Consultants engaged by Zonal Railways. A copy of this instruction is also marked to CRIS to make necessary changes in the IREPS and GST Manual utilities.

Signed by

Vipul Tripathi

Date: 03-01-2025 12:52:38 (Vipul Tripathi)

Director/Accounts

Railway Board

Copy to:

1. Sr. PPS to all Members of Railway Board
2. PFAs of all Zonal Railways/Production Units;
3. Managing Director, CRIS;
4. Director Finance, CRIS;
5. GM/IREPS, GSTM, CRIS

भारत सरकार (Government of India)
रेल मंत्रालय (Ministry of Railways)
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

आरबीए सं. 01/2025
जीएसटी सं. 01/2025
3 जनवरी 2025

सं. 2017/एसी-III/1/6/जीएसटी मेन-वॉल-IV

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/ उत्पादन इकाइयां

विषय : जीएसटी के तहत भारतीय रेलवे में पंजीकृत डीलरों द्वारा मेटल स्क्रेप आपूर्ति के लिए संशोधित टीडीएस प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण।
संदर्भ : दिनांक 11 दिसम्बर 2024 का आरबीए सं. 35/2024.

रेलवे बोर्ड के उक्त आरबीए संख्या के माध्यम से अनुशीर्षक विषय पर राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के निहितार्थों को सामने लाया गया है। इस संबंध में, जीएसटी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित स्पष्टीकरण सामने लाए गए हैं :-

विवरण	स्पष्टीकरण
क्या जीएसटी-टीडीएस कर योग्य मूल्य या चालान मूल्य का 1% पर लागू होगा?	कर योग्य मूल्य का 1% की दर से जीएसटी-टीडीएस लागू होगा।
क्या जीएसटी-टीडीएस सीजीएसटी और एसजीएसटी प्रत्येक का 1% या कुल 1% पर लागू होगा?	सीजीएसटी और एसजीएसटी प्रत्येक का 1% की दर से जीएसटी-टीडीएस लागू होगा।
क्या जीएसटी-टीडीएस आईजीएसटी के तहत (आईजीएसटी के मामले में 2%) रेलवे पर भी लागू होगा?	जैसा कि रेलवे द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले मेटल स्क्रेप की आपूर्ति का स्थान (पीओएस) आपूर्तिकर्ता के स्थान के समान ही है, तो रेलवे द्वारा किए गए इन लेनदेन पर आईजीएसटी के तहत टीडीएस लागू नहीं होगा।
क्या लेन-देन की कोई सीमा है जिस पर टीडीएस लागू होगा?	अध्याय 72 से 81 के अंतर्गत आने वाले मेटल स्क्रेप के सभी लेन-देन पर टीडीएस लागू होगा,

	जहां किसी अनुबंध के तहत ऐसी आपूर्ति का कुल मूल्य (कर योग्य मूल्य) 2,50,000/- रुपये से अधिक है।
जीएसटी कानून के अंतर्गत टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित प्रावधान क्या हैं?	आयकर कानून की तरह ही, सरकार को कर जमा करने के 5 दिनों के भीतर संबंधित व्यक्ति को जीएसटीआर-7ए फॉर्म में जीएसटी के तहत करदाता को टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करना होता है। जीएसटी पोर्टल स्क्रेप डीलर द्वारा दाखिल किए गए जीएसटीआर-7 के आधार पर करदाता को स्वचालित रूप से जीएसटीआर-7ए उपलब्ध करा देगा।

आपूर्तिकर्ता के विभिन्न स्थानों, आपूर्ति के स्थान और प्राप्तकर्ता के स्थान से जुड़े विभिन्न परिदृश्यों में टीडीएस की प्रयोजनीयता नीचे दी गई तालिका में विस्तृत रूप से दी गई है :

परिदृश्य	आपूर्तिकर्ता के स्थान	आपूर्ति के स्थान	जीएसटी के प्रकार	प्राप्तकर्ता के स्थान	टीडीएस प्रयोजनीयता	टीडीएस %	टिप्पणी
1	बेंगलौर	बेंगलौर	सीजीएसटी एवं एसजीएसटी	बेंगलौर	हाँ	2% (1%+1%)	रेलवे के लिए प्रासंगिक
2	बेंगलौर	चेन्नई	आईजीएसटी	बेंगलौर	हाँ	2%	रेलवे के लिए अप्रासंगिक
3	बेंगलौर	चेन्नई	आईजीएसटी	दिल्ली	हाँ	2%	रेलवे के लिए अप्रासंगिक
4	बेंगलौर	बेंगलौर	सीजीएसटी एवं एसजीएसटी	दिल्ली	नहीं	-	रेलवे के लिए प्रासंगिक

उपरोक्तानुसार, यह देखा जा सकता है कि जब आपूर्तिकर्ता का स्थान और आपूर्ति का स्थान एक ही राज्य में हो, तब जीएसटी-टीडीएस लागू नहीं होगा, जबकि प्राप्तकर्ता का स्थान किसी अन्य राज्य में स्थित हो सकता है।

सभी क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों उपरोक्त पर ध्यान दें और अपने स्थानीय जीएसटी सलाहकारों के परामर्श से जीएसटी अनुपालन सुनिश्चित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि ऐसे सभी लेन-देन में उपरोक्त शर्तों का अनुपालन करेंगी। उक्त निर्देशों को लागू करने में किसी भी विशिष्ट मुद्दे के मामले में, इसे क्षेत्रीय रेलवे द्वारा नियुक्त जीएसटी सलाहकारों की टिप्पणियों के साथ रेलवे बोर्ड के ध्यान में लाया जा सकता है। इस निर्देश की एक प्रति आईआरईपीएस और जीएसटी मैनुअल उपयोगिताओं में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए क्रिस को भी भेजी गई है।

६.
(विपुल त्रिपाठी)
निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. रेलवे बोर्ड के सभी सदस्यों के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
2. सभी क्षेत्रीय रेलों/ उत्पादन इकाइयों के प्रधान वित्त सलाहकार;
3. प्रबंध निदेशक, क्रिस;
4. निदेशक वित्त, क्रिस;
5. महाप्रबंधक/ आईआरईपीएस, जीएसटीएम, क्रिस